

फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलकट्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर, ग्रामीण

लक्ष्मण सिंह बनाम उपखण्ड अधिकारी चाकसू व अन्य

केस संख्या : 47/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

नांक आझा कार्यवाही	आझा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
4.03.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी चाकसू के पीठासीन अधिकारी श्री गुलाब सिंह वर्मा आर ए एस का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है।</p> <p>प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या...../2019 ब उनवानी लक्ष्मण सिंह व अन्य बनाम राम सहाय व अन्य में पीठासीन अधिकारी श्री गुलाब सिंह वर्मा आर ए एस से न्याय मिलने में शका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी चाकसू के पीठासीन अधिकारी श्री गुलाब सिंह वर्मा आर ए एस का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शुन्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">(प्रकाश राजपुरोहित) जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (ग्रामीण)</p>	